लाइट हाउस परियोजना

चर्चा में क्यों

- केन्द्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जीएचटीसी-इंडिया के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं के निर्माण के लिए पूरे देश में 6 स्थलों का चयन करने के लिए राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए एक चुनौती की शुरूआत की है।
- मंत्रालय ने इस चुनौती में सिक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया है। निर्धारित मानदंडों के अनुसार सबसे अधिक अंक अर्जित करने वाले 6 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को लाइट हाउस परियोजनाएं प्रदान की जाएंगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

- राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार इन परियोजनाओं के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
- इसके अलावा नई प्रौद्योगिकी के उपयोग किसी अतिरिक्त लागत के प्रभाव को दूर करने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अन्दान (टीआईजी) का भी प्रावधान किया गया है।
- लाइट हाउस परियोजनाओं के लिए चयन किये गए स्थलों का सीधे प्रदर्शन के लिए खुली
 प्रयोगशाला के रूप में उपयोग किया जाएगा।
- इसके अलावा शिक्षाविद (सिविल इंजीनियरिंग, योजना और वास्तुकला), सार्वजनिक और निजी व्यवसायी, नीति निर्माता (केन्द्रीय और राज्य) और मीडिया इसके बारे में उचित ध्यान देंगे और इसके अलावा ग्रांड-एक्सपो एवं सम्मेलन में सहायता/मान्यता भी प्राप्त होगी।
- इस चुनौती के तीन घटक हैं-
- i) ग्रांड एक्सपो एवं सम्मेलन का आयोजन करना
- ii) दुनिया भर से प्रमाणित प्रदर्शन योग्य प्रौद्योगिकियों की पहचान करना
- iii) उष्मायन और त्वरित सहायता के लिए किफायती, स्थायी आवास त्वरितों की स्थापना के माध्यम से संभावित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।